

पत्रांक .यूपीएए/04/1/110/9-2015

दिनांक:- 03.10.2015

सेवा में ,  
क्षेत्रीय प्रबंधक, (दक्षिण दिल्ली)  
यूनिट न0 602-ए,  
टॉवर-2, कनैक्टस बिल्डिंग,  
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने,  
अजमेरी गेट की ओर,  
नई दिल्ली-110001.

विषय:- वास्तुविदों के पैनल के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय द्वारा बैंक वेबसाइट पर वास्तुविदों को सूचीबद्ध करने के लिये प्रकाशित सूचना का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें क्रम सं0 10 पर वास्तुविदों से भी ठेकेदारों की भांति बैंक गारन्टी मांगी गयी है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वास्तुविद भी अन्य प्रोफेशनल (डॉक्टर, वकील, सी0 ए0 इत्यादि) की भांति प्रोफेशनल है, तथा इनके क्रिया कलापों का नियन्त्रण भारतीय वास्तुकला परिषद द्वारा किया जाता है। इस परिषद का गठन संसद द्वारा पारित आर्कीटेक्ट्स एक्ट 1972 के अन्तर्गत किया गया है। अतः यह परिषद एक सैवधानिक संस्था है।

आपसे अनुरोध है कि यदि बैंक को वास्तुविद की सेवाओं अथवा आचरण से सम्बन्धित कोई आशंका या शिकायत हो तो उसकी शिकायत आप वास्तुकला परिषद से कर सकते हैं। जो कि उस पर कार्यवाही कर दंड देने में सक्षम है। अधिकतम दंड के रूप में वास्तुविद का पंजीकरण तक निरस्त किया जा सकता है। बैंक गारन्टी की शर्त न केवल असंगत है बल्कि एक्ट के अन्तर्गत परिभाषित आचार संहिता के भी विरुद्ध है। इस आचार संहिता का पालन वास्तुविदों के लिए अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त शर्त को हटाने की कृपा करें ताकि कानून का पालन करने वाले वास्तुविद भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।

सधन्यवाद।

भवदीय

राजीव कुमार द्विवेदी  
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :- 1. रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.  
2. अध्यक्ष, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स, डॉ0 डी0 एन0 रोड, मुम्बई-400001.

संलग्नक:- 1. वास्तुविद के पैनल की सूचना की प्रति।  
2. ठेकेदारों के पैनल की सूचना की प्रति।

यूनियन बैंक  
ऑफ इंडिया



Union Bank  
of India

Ref.No.:RODEL(S):PREM:305.15

Dated: 21.10.2015

To  
U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION  
145/2 BAGUM BRIDGE ROAD  
ABOVE LOYAL BOOK DEPOT  
MEERUT, UTTAR PRADESH-250001

Dear Sir,

**SUBJECT: PREQUALIFICATION NOTICE FOR EMPANELMENT OF ARCHITECTS**


We refer to your letter no. UPAA/04/1/110/9-2015 dated 03.10.2015 regarding empanelment of Architects. In this regard we wish to inform you that the purpose of empanelment is to form a panel of architects who will undertake renovation of Branches / Offices / Residences, furnishing & interior, Decoration, civil work and rehabilitation of the buildings, electrical, air-conditioning, etc as per Notice Inviting Tender Document.

In the past we have experienced that architectural firms take active part in the empanelment process and get themselves empanelled. But after empanelment whenever Bank required their services only few firms shows interest and there is always a lack of response from empanelled architects towards low value work orders which defeats the whole purpose of empanelment. This leads to unnecessary delay in work. Thus to safeguard the interest of the Bank and to have more empanelled architectural firms taking part in the process of tender Bank Guarantee/ Fixed deposit from successful candidates is desired.

Application fees Of Rs.500/- is a nominal fees charged to restrict only to interested firms.

Thanking you,

Yours Faithfully

  
ASST. GEN. MANAGER